<u>BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL</u>

<u>PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI</u>

<u>IN</u>

ORIGINAL APPLICATION NO. 77 OF 2019

STATUS REPORT BY MERRUT NAGAR NIGAM

1. That the Hon'ble National Green Tribunal passed the order dated 16.09.2019 and quoted herein below:-

   1. The issue for consideration is the remedial action against unscientific dumping of solid waste in village Ganwri on the bank of river Kaali, creating health hazard. It is also alleged that 22 deaths have taken place and 200 people have been taken ill.

   2. The matter was reviewed 03.07.2019 in the light of report dated 15.04.2019 filed by the State PCB to the effect that waste was dumped in unscientific and unhygienic manner. The State PCB had required the Nagar Nigam to pay compensation of Rs. 24 lakhs for damage to the environment. The Tribunal directed the Commissioner, Nagar Nigam to remain present in person along with compliance report.

   3. The status report handed over during the hearing is to the effect that some steps have been taken and further

time is required. It is also stated that the Nagar Nigam is seeking review against compensation of environmental damage. Since the compensation is for the past damage, it is made clear that the State PCB may not review the order without permission of the Tribunal. Review can be considered only if there is error in the finding of assessment of damage found by the State PCB. List for further consideration on 01.11.2019.

The Commissioner, Nagar Nigam may remain present in person on the next date of hearing."

2. In compliance of the aforesaid directions, the following status report is submitted before this Hon'ble Tribunal.

3. The writ petition No.C-3312/2019 between two companies M/s Organic Recycling Pvt. Ltd. and I.L. & F.S. Environment Infrastructure and Services is still pending in the Hon'ble Allahabad High Court on the issue of establishment of Municipal Solid Waste Disposal on the site in question and the Hon'ble Court by order dated 05.04.2019 has directed both parties to maintain status quo and stay order is effective even today. A copy of the order dated 05.04.2019 is annexed as **Annexure SR-1.**

4. Against the Environment Compensation order dated 08.07.2019 of Uttar Pradesh Pollution Control Board the Nagar Nigam has filed a review petition of the order of UPPCB given the facts that the matter is pending before the High Court of Allahabad and Status Quo has been granted in the abovesaid matter. A copy of Review Petition is annexed as **Annexure SA2.**

5. In above circumstances the Nagar Nigam Meerut took decision to carry all works by own and proposal in this regard was passed on 27.08.2019 in meeting of house. The funding of implementation of above work has been done from the amount received from 14th Finance Commission.

6. That all legacy waste lying on above site which was fresh in nature, the work of composting in mix waste was done while using bacterial inoculums and green part of all lying legacy waste was converted into compost, due to which coming foul smell on above site completely stopped.

7. Legacy is that part of waste which was in 120 meter bank of river was collected from JCB and different machines and it has been cleaned and 3500 trees have been planted on above site. Photographs of machine and sites in question is annexed as **Annexure SA 3.**

8. For cleaning legacy waste air blastic segregator machine has been installed on site in question. The capacity of above machine is 15 ton per hour and this machine is continuously working since month of December, 2019. This machine segregates compost in side and inert part in another side and RDF at third side. Photographs of machine and sites in question is annexed as **Annexure SA 4**.

   Before air blastic segregator machine work has been done on site in question from the month of July, 2019 by 04 mm Flat Trommel machine as have been mentioned with photograph in Status Report dated 13.09.2019. Presently both the machines are working at site. News paper cutting dated 14.12.2019 is annexed as **Annexure SA5.**

9. The Nagar Nigam Meerut has used the zero sanitary landfill technique. Produced entire compost is used by Nagar Nigam itself. Produced inert after segregating iron and glass; the brick and stone etc are being used by Nagar Nigam itself in construction works.

10. In above the process RDF is used for generating electricity. The Meerut Nagar Nigam at local level on

Partapur crossing has given permission to M/s Bijendra Electrical and Research for one Megawatt electricity plant. PPA of above plant has been done but rates have still not been assessed from Electricity Regulation Commission, due to which above firm is generating electricity for own self from its heavy engineering work. In this method by shredding of RDF, birkit are generated and electricity is generated by gasification method. For above purpose permission has been given by Secretary Swakchh Bharat Mission U.P. on 24.12.2019. The photo of 01 megawatt plant in Meerut Nagar Nigam is annexed as **Annexure SA 6**.

11. That Nagar Nigam Meerut by this office letter No. 286/P.A. N.N./2020 dated 04.04.2020, also has requested from Regional officer U.P. Pollution Control Board that he too may please inspect. A copy of the abovesaid letter dated 04.04.2020 is annexed as **Annexure SA7**

12. That Shri Anoop Chand Pandey Hon'ble Member of Over site Committee of NGT has also done inspection of spot on 08.02.2020. Photographs of Hon'ble Member during inspection site in question is annexed as **Annexure SA 8**.

13. It is respectfully submitted that concerned authority has full respect and regard of the orders / directions passed by this Hon'ble Tribunal and the same has been fully complied in its true sprit by the concerned authority and there is no breach of any order / directions passed by this Hon'ble Tribunal.

14. This Status report is being submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

MUNICIPAL
COMMISSIONER
MEERUT NAGAR NIGAM
MEERUT, UP

ANNEXURE-5 A-1

7

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 3312 of 2019

Petitioner :- Organic Recycling Systems Pvt. Ltd.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Syed Mohd. Fazal,Sri S.G. Hasnain (Senior Advocate)
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pankaj Srivastava

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Hon'ble Pankaj Bhatia,J.

On previous occasion, learned counsel for the petitioner was diected to serve respondent no.3. An affidavit of service has been filed on behalf of the petitioner. It appears that due to wrong address the notice could not be served.

During the course of the submissions, Sri Pankaj Srivastava, learned counsel for the respondent has handed over e-mail address of the third respondent.

Sri S.G. Hasnain, leaned Senior Advocate assisted by Sri Syed Mohd. Fazal, learned counsel for the petitioner seeks for and is granted twenty four hours' time to send the notice to the third respondent by e-mail.

We had also asked learned counsel for the respondents to produce the record as stand taken by the respondents was that the third respondent has now started functioning. However, from the record learned counsel for the respondents could not satisfy the Court that pursuant to the Letter of Intent in favour of the third respondent, he has started the functioning.

The facts as pleaded by the petitioner are that the respondent no.2 invited expression of interest through advertisement in the various newspapers for installation of a Plant of 800 TPD MSW and the petitioner in pursuance to the said expression of interest filed his tender documents and three companies were short listed in pursuance to the said advertisement dated 1.12.2016.

Out of the said three bidders the petitioner was issued a letter of intent on 31.12.2016 and a concessionaire agreement was executed in between the petitioner and the respondent no.2 (Annexure-5 to the writ petition) on 2.1.2017. The said agreement was for 800 TPD. It is also stated that the physical possession of the land was granted to the petitioner on 8.7.2017 and the petitioner submitted the necessary DPR vide its letter dated 8.9.2017. Later on the respondent no.2 by means of a letter dated 30.11.2017 clarified that the project of one Plant of 800 TPD shall be split into two phases each phase having a Plant capacity of 400 TPD. The petitioner claims that in pursuance to the Concessionaire agreement dated 2.7.2017, the petitioner made considerable investment for implementation of 800 TPD Plant, however, the petitioner also agreed for two Plants of 400 TPD each as was proposed by respondent no.2.

The grievance of the petitioner is that with regard to the first phase of Plant having been accepted of 400 TPD, the petitioner was given the project, however, with regard to the second phase, the petitioner arbitrarily and in contravention of the concessionaire agreement dated 2.1.2017 is proceeding to give the second phase to the respondent no.3 which wholly arbitrary and illegal.

Considering the averments made at the bar and the fact that the third respondent has not even been allotted the land and has not started the functioning, we heard the matter for considering the question of grant of interim order. On the basis of the averments made, we direct that the parties shall maintain status-quo till the next date of listing.

Put up this case on 15th April, 2019 in the additional cause list before the appropriate Bench.

The matter shall not be treated as tied up or part heard to this Bench.

9

Rejoinder affidavit to the counter affidavit of respondent no.1 and affidavit of service filed today, are taken on record.

Order Date :- 5.4.2019
Hasnain

10

ANNEXURE SA-2

समक्षः—माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या— सन्—2019

नगर निगम, मेरठ द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।

बनाम्

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

रिव्यू प्रार्थना—पत्र विरूद्व पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपण आदेश जो संदर्भ संख्या—38468/सी—3/जल—503/मेरठ/2019 में दिनांक 08.07.2019 को पारित किया गया था, निम्नवत् हैः—

(1)—यह कि उपरोक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदेश दिनांक 08.07.2019 कानून व तथ्यों के विरूद्ध एकपक्षीय रूप में पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण खंडित होने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में नगर निगम, को बगैर सुने ही आदेश पारित किया गया है।यह कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति की नोटिस जो कि माननीय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.06.2019 को प्रेषित की गयी है वह नगर निगम अभिलेखों में उपलब्ध नही है यह भी कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0—रिट सी—3312/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 में प्रश्नगत स्थल पर स्थगन आदेश दिये जाने के कारण कोई भी कार्यवाही किया जाना सम्भव नही था अतः यह तथ्य माननीय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपरोक्त तथ्य अवश्य अवगत कराये जाते। यह भी कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति आदेश जो कि जांच समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 16.01.2019 पर आधारित है, में भी स्थलीय परीक्षण बगैर नगर निगम की जानकारी में किया गया है। उपरोक्तानुसार उपरोक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदेश दिनांक 08.07.2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है तथा खंडित किये जाने योग्य है।

(2)—यह कि प्रश्नगत प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार हैः—यह कि नगर निगम, मेरठ द्वारा उपरोक्त स्थल पर कूड़ा निस्तारण कराने हेतु ग्राम जलालुद्दीन, मसूदपुर उर्फ गावड़ी में वेस्टेज गारबेज प्लांट हेतु m/s Orgamic Recycling Pvt Ltd का expression of interest द्वारा चयनित कर कम्पनी से वैज्ञानिक तकनीक द्वारा कचरा निस्तारण हेतु दिनांक 02.01.2017 सलाहकार निकाय से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मांगी गयी। इसी मध्य शासनादेश संख्याः 3071/9—5—2018सा0/2016 नगर विकास अनुभाग—5 के पत्र दिनांक 13.12.2018 द्वारा नगर निगम, मेरठ हेतु ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु waste to Energy Plant हेतु एक अन्य संस्था IL&FS Environment Infrastructre & Services Ltd का चयन कर दिया गया। जिस कारण से उपरोक्त एक ही स्थल पर दो कम्पनियों द्वारा आदेश हो गये। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्याः रिट सी0—3312/2019 में दोनों कम्पनियों के मध्य विवाद हो जाने के कारण दिनांक 05.04.2019 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की आज्ञा दी गयी। नगर निगम, मेरठ द्वारा उपरोक्त स्थल पर ठोस कचरा निपटान हेतु पूर्ण प्रयास किया गया है। किन्तु मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण इसे किसी कम्पनी को नही दिया जा सका है। (एनेक्जर—1)

(3) यह कि मा0 उच्च न्यायालय में कार्यदायी संस्थाओ के विरूद्ध स्थगन आदेश होने के कारण उपरोक्त कार्य किसी व्यावसायिक संस्था से नही कराया जा सकता था। अतः इन विपरीत प्रस्थितियो में आपके आदेश दिनांक 08.07.2019 के क्रम में उपरोक्त ठोस कचरा निपटान हेतु नगर निगम, मेरठ ने स्वयं निस्तारण करने हेतु

11

निर्णय लिया। अतः वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु एक कम्पनी जो कि Solid Waste Disposal का कार्य करती है, M/s. Zonta Infrates से वैज्ञानिक सलाह ली गयी।(एनेक्जर–2)

(4)–यह कि कचरा/वेस्ट निस्तारण का यह कार्य नगर निगम अब स्वंय कर रहा है। उपरोक्त स्थल पर जो कचरा नदी के किनारे से 120 मी0 दूर था उसे जे0सी0बी0 मशीन द्वारा हटाकर उस स्थान से 500 मी0 दूरी पर किया गया है। उपरोक्त कचरे के अतिरिक्त स्थल पर जो कचरा इधर–उधर बिखरा था उसकों एक स्थान पर एकत्रित किया गया तथा इस पर बैक्टिरियल इरनाकुलम, दही व गुड़ के घोल को डालकर जे0सी0बी0 से 7 दिनों के अन्तर पर चलाया गया। उपरोक्त प्रक्रिया से समस्त Degradable कचरा पूर्ण रूप से कम्पोस्ट में बदल गया तथा इस कचरें को मशीन से छानकर (Seggrigation) द्वारा कम्पोस्ट व Inert waste में अलग–अलग कर दिया गया। उपरोक्त प्रक्रिया में वर्तमान स्थल पर लगभग 80 प्रतिशत कचरा निस्तारित किया जा चुका है। यह भी कि नगर निगम, मेरठ द्वारा काली नदी के किनारें से 120 मी0 दूरी पर हरित पट्टी विकसित की जा रही है तथा वृक्ष लगाने हेतु अभी तक 3,000 गढ़ढे कराये जा चुके है व 700 पेड़ों का वृक्षारोपण कराया जा चुका है, आगे भी वृक्षारोपण की प्रक्रिया जारी है इस तरह वर्तमान में प्रश्नगत स्थल 80 प्रतिशत साफ सुथरा है किसी भी तरह की कोई दुगंर्ध नही है सिर्फ 20 प्रतिशल कचरे को छानकर डिस्पोजल करना है, कोई भी कचरा वर्तमान में कम्पोस्ट के रूप में leachate नही है। जिसका सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(5)–यह कि माननीय बोर्ड द्वारा प्रार्थी नगर निगम, मेरठ को सुनवाई का मौका प्रदान किये बगैर ही उपरोक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपण आदेश दिनांक 08.07.2019 एक पक्षीय रूप से पारित हो गया है, जिसका कायम रहने से नगर निगम, मेरठ जोकि एक सार्वजनिक निकाय है, के हित प्रतिकुल रूप से प्रभावित होगें और न्याय नही मिल पायेगा।

(6)–यह कि उपरोक्त आदेश द्वारा नगर निगम, मेरठ के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अंकन 24,28,125/– की धनराशि अवैधानिक रूप से आरोपित की गयी है। ठीक इसी प्रकार के एक मामलें में मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या–6191/2019 दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम् सैन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, पर सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 09.05.2019 में स्पष्ट किया गया है।(एनेक्जर–3)

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणोवश नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान कर संदर्भ संख्या–38468/सी–3/जल–503/मेरठ/2019 में दिनांक 08.07.2019 को निरस्त करके पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदंड अंकन 24,28,125/– रूपये को जमा किये जाने से उन्मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांकः– 7.8.19.

प्रार्थी

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

Annexure 5A-3

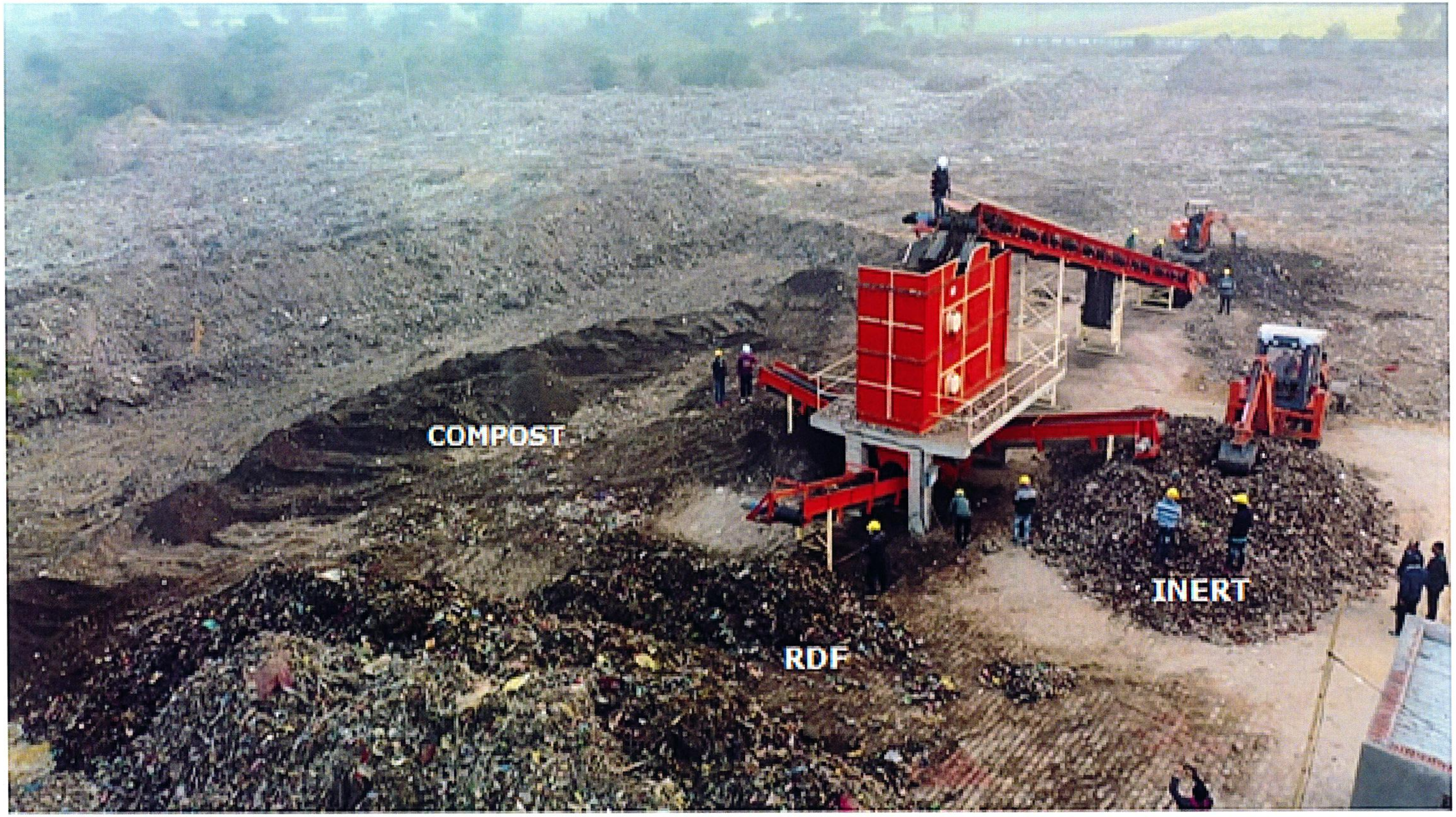
COMPOST
RDF
INERT

Annexure- SA -4 14

16

14-12-2019

मेरठ जागरण
www.jagran.com

Annexure-SA-5
17

कूड़ा डाला...और कंपोस्ट उगलने लगी मशीन

क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी की मौजूदगी में गांवड़ी में बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट का ट्रायल रहा सफल

150
टन कूड़े का प्रतिदिन हो सकेगा निस्तारण।

500
से 1500 रुपये निगम को सरकार से मिलेगी प्रति टन कंपोस्ट पर सब्सिडी।

500
रुपये प्रति टन आरडीएफ से होगी निगम को आय।

जागरण संवाददाता, मेरठ : जेसीबी से कंवेयर बेल्ट में कूड़ा डाला गया और मशीन चालू कर दी गई। पल भर में मशीन तीन भाग में कूड़े को बांटकर अलग-अलग कंपोस्ट, आरडीएफ (पॉलीथिन) और इनर्ट (ईंट-पत्थर) उगलने लगी। यह देखकर क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी और सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह समेत एजेंसी के इंजीनियर के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई।

शुक्रवार को गांवड़ी स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल पर बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट का सफल ट्रॉयल किया गया। करीब आधा घंटे में आठ टन कूड़े का सेग्रीगेशन करके दिखाया गया। मशीन को 10 घंटे तक चलाने की तैयारी थी लेकिन बारिश के चलते ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी ने कहा कि इस प्रक्रिया से कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से होने की उम्मीद बढ़ गई है। संचालन व देखरेख की जिम्मेदारी उठा रही एजेंसी इनवरान आर्गेनिक वर्क्स एंड सप्लायर के इंजीनियर प्रदीप गुप्ता ने प्लांट के बारे में जानकारी दी। कहा कि 25 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी कंवेयर बेल्ट है। जिसमें जेसीबी से सूखा कूड़ा डाला जाएगा। जो बैलेस्टिक सेपरेटर मशीन में पहुंचेगा। सेपरेटर में दो छन्ने 100 मिमी. और 16 मिमी. के हैं। जिससे कूड़ा छनने के बाद तीन छोटे-छोटे कंवेयर बेल्ट से अलग-अलग प्री-कंपोस्ट, आरडीएफ (पॉलीथिन) और इनर्ट (ईंट-पत्थर) के रूप में निकलेगा। इंजीनियर ने कहा कि बैलेस्टिक सेपरेटर प्रतिघंटे 15 टन कूड़े का सेग्रीगेशन करेगा। प्रतिदिन 10 घंटे मशीन चलाई जाएगी। जिससे प्रतिदिन 150 टन कूड़े निस्तारित होगा। निस्तारित कूड़े से करीब 30 से 40 फीसद आरडीएफ (पॉलीथिन), 15 से 20 फीसद कंपोस्ट और शेष इनर्ट (ईंट-पत्थर) निकलेगा। यानी एक किलो कचरे में अधिकतम 200 ग्राम तक खाद निकलेगी।

गांवड़ी में कूड़ा निस्तारण स्थल पर बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट के ट्रायल के दौरान मौजूद क्षेत्रीय विधायक सत्यवीर त्यागी (पहली पंक्ति में दांये से दूसरे) और प्लांट की जानकारी देते इंजीनियर (पहली पंक्ति में सबसे दाएं) ● सौ. नगर निगम

किसानों को मिलेगी निशुल्क खाद

बैलेस्टिक सेपरेटर मशीन से कचरे से तैयार कंपोस्ट (खाद) को किसानों को निशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए किसान को आधार कार्ड और खतौनी की फोटोप्रति लेकर आना होगा। वहीं ईंट-पत्थर भी निशुल्क प्रदान किया जाएगा।

कूड़े से निकलेगा इतने प्रकार का मेटेरियल

- आरडीएफ(रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल) : इसमें प्लास्टिक, ई-वेस्ट, पॉलीथिन, कपड़े, जूते-चप्पल समेत जलने वाला हल्का कचरा शामिल होता है। इस कचरे का उपयोग बिजली बनाने में किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ब्रिजेंद्र एनर्जी एंड रिसर्च कंपनी से अनुबंध कर चुका है। कंपनी इससे बिजली बनाएगी।
- प्री-कंपोस्ट: कूड़े में शामिल मिट्टी, गोबर, किचन से निकलने वाले सब्जी के कतरन, सड़े फल समेत अन्य खाद्य पदार्थ को बैलेस्टिक सेपरेटर छानकर प्री-कंपोस्ट के रूप में निकालेगी। जिसका उपयोग खेत या बागवानी में खाद के रूप में किया जा सकेगा।
- इनर्ट कचरा : यह कूड़े में शामिल ईंट, पत्थर, मिट्टी समेत मकानों से निकलने वाले मलबे के कचरा होता है। बैलेस्टिक सेपरेटर मशीन कूड़े से यह अलग करेगा। इसका इस्तेमाल सड़क के गड्ढे भरने, लैंडफिल के रूप में हो सकेगा।

900 मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए तीन और प्लांट लगाने होंगे

शहर में प्रतिदिन 900 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है। नगर निगम लोहिया नगर, कंकरखेड़ा में भी बैलेस्टिक सेपरेटर मशीन लगाने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं गांवड़ी में भी एक और मशीन स्थापित की जा सकती है। नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा कि कम से कम तीन और प्लांट लगाकर शत-प्रतिशत कचरे का निस्तारण संभव होगा। इतने कचरे से निकले आरडीएफ से कम से कम आठ मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

कचरे से प्रतिदिन होगी निगम को आय

कचरा अब निगम की आय का साधन बनेगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कंपोस्टिंग का लाइसेंस सरकार से प्राप्त होते ही प्रति टन 500-1500 रुपये की सब्सिडी मिलने लगेगी। वहीं आरडीएफ बिजली बनाने के लिए कंपनी को दिया जाएगा। जिसके एवज में प्रति टन आरडीएफ का 500 रुपये कंपनी देगी। अर्थात कचरे के प्रत्येक अवयव कीमती है।

अभी तक ख
70 लाख रु

जागरण संवाददाता, मेरठ : न
आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसि
ने बताया कि अभी तक गांवड़ी
बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट पर कुल
लाख रुपये खर्च हुए हैं। जबकि
प्रोजेक्ट आठ करोड़ का है। प्ल
का प्रथम चरण है। इसे गुणवत्ताप
निस्तारण के लिए अभी कई मशी
और लगनी है। मशीन से निकल
वाली कंपोस्ट सीधे बोरी में पैक क
की प्लानिंग है। यह कंपोस्ट ऐसी हो
जिसे हर प्रकार की खेती और बागवा
में लोग प्रयोग कर सकेंगे।
अब घर-घर से गीला-सूखा कच लेने पर होगा जोर : गांवड़ी में प्लां
के ट्रॉयल के बाद नगर निगम
टाउनहाल स्थित तिलकहाल में नग
आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसि
ने स्वास्थ्य अनुभाग की बैठक ली
जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ
गजेंद्र सिंह, सभी डिपो प्रभारी, स्वच्
भारत मिशन की टीम, सफाई एवं खाद
निरीक्षक मौजूद रहे।
नगर आयुक्त ने कहा कि अ
घर-घर से गीला-सूखा कचरा अलग-
अलग लिया जाएगा। इसके लिए
15 दिन तक लोगों को हरे डस्टबिन
में गीला और नीले डस्टबिन में

प्रतिबंधित ईंधन जलाने पर इंचौली और कुनकुरा में चार कोल्हू सील

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम : वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिबंधित ईंधन जलाने में कोल्हू संचालक बाज नहीं आ रहे हैं। चोरी चुपके प्रतिबंधित ईंधन रात के समय कोल्हू की भट्ठी में जलाकर गुड़ तैयार कर रहे हैं।

> इंचौली में तीन और कुनकुरा में एक कोल्हू पर प्रतिबंधित ईंधन जलाने पर सील लगाने की कार्रवाई की है। मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है, केस दर्ज की भी कार्रवाई कराई जाएगी।
> आरके सिंह, एई- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure- SA-6[1]

(ACTUAL PHOTOGRAPH OF 1MW PLANT AT MEERUT)

FROM MUNICIPAL SOLID WASTE (RDF) TO ENERGY

DPR OF 1MW PLANT

Annexure-5A-7

19

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पंत्रांकः 286 /पी0ए0–न0आ0/2020 दिनांकः 04 अप्रैल, 2020

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
मेरठ।

विषयः– **ओ0ए0 संख्या–77/2019 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में निरीक्षण कराने हेतु अनुरोध पत्र।**

महोदय,

यहकि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–77/2019 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् वाद् में वर्णित स्थल ग्राम जलालुद्दीन मसूदपुर उर्फ गॉवड़ी में आपके द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण के क्रम में तत्पश्चात् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 06–07–2019 के अनुपालन में प्रश्नगत् स्थल पर पड़े हुए अधिकांशतः लिगेसी वेस्ट को साफ किया जा चुका है। अब वह स्थल पूरी तरह से साफ है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने का कष्ट करें तथा वे आवश्यक जो आवश्यक हों निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

Annexure- SA-8
20